

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 44/2015

संस्थित दिनांक-30/08/2010

फाईलिंग नंबर-230303004002010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. बंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर भदौरिया
उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिजपुरी
2. रविन्द्र उर्फ नीरज पुत्र रामनिवास तोमर,
उम्र 35 साल, निवासी करके का पुरा
थाना पोरसा जिला मुरैनाउपस्थित आरोपीगण

3. लवकुश उर्फ अखलेश पुत्र रामसिया भदौरिया
4. सोमवीर पुत्र सरमन सिंह राजावत
5. निहाल उर्फ दाताराम पुत्र रामनिवास तोमर
.....फरार आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी रविन्द्र उर्फ नीरज द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता
आरोपी बंटू उर्फ शैलेन्द्र द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 07 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उपस्थित अभियुक्तगण बंटू उर्फ शैलेन्द्र एवं रविन्द्र उर्फ नीरज के विरुद्ध धारा 399, एवं 402 भा0द0वि0, सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08/05/2010 को रात 20:10 बजे ग्राम जस्तपुरा के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच व्यक्तियों में से एक स्वयं रहे ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 08/05/2010 को ग्राम जसपुरा के पास अंतर्गत थाना गोहद

चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं यह भी स्वीकृत है कि सहअभियुक्तगण लवकुश, सोमवीर एवं निहाल आदेश दिनांक-14/10/2015 से फरार है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि०-08/05/2010 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा एन.के. त्रिपाठी को जरिये मुखबिर टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जस्तपुरा नहर की पुलिया के पास 05 हथियार बंद बदमाश पुलिया की आड़ में लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर वह, एवं उपलब्ध पुलिसबल को साथ लेकर शासकीय हवान नंबर-एमपी.-03-5706 को लेकर मय आर्म्स एम्यूनेशन एवं टॉर्च अनुसंधान किट लेकर ग्राम जस्तपुरा पहुंचा, जहां पर साक्षीगण रंजीत व रामप्रकाश मिले, जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए छिपते छिपाते पुलिया की आड़ में पीछे छिपकर कुछ लोगों की बातचीत की आवाज सुनी जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि लवकुश आज तो 2-3 मोटरसाइकिलें छुडानी हैं तथी दूसरा बोला हां सोमवीर तेरे पास कटटा तो है, एक बोला कि बंटू रोकेगा और निहाल और रविन्द्र मोटरसाइकिल चालू करके भागना है। तब बदमाशों की घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयत्न किया तो दो बदमाश पास में खड़ी मोटरसाइकिल को लेकर भागने को हुए जिन्हें मय मोटरसाइकिल दबोच लिया, पकड़ लिया। शेष बदमाश पैदल भागे, जिन्हें पुलिसबल की मदद से पकड़ लिया। लेकिन एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मौके पर पकड़े गये आरोपियों से नाम पता पूछे जाने पर उन्होंने अपने नाम लवकुश उर्फ अखलेश पुत्र रामसिया भदौरिया निवासी बिजपुरा, 2 सोमवरी पुत्र सरमन सिंह राजावत निवासी पुरा अतरसुमा, निहालसिंह उर्फ दामाता पुत्र पंचमसिंह तोमर निवासी कोथरकला, रविन्द्र उर्फ नीरज पुत्र रामनिवास तोमर निवासी करके का पुरा का बताया। लवकुश के कब्जे से एक 315 बोर का कटटा, दो जिंदा कारतूस तथा सोमवीर के कब्जे से एक कटटा 315 बोर दो जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल एवं निहाल के कब्जे से एक मोटरसाइकिल डिस्कवर काले रंग की, एवं तीन मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी लोहे की, एक मोबाइल नोकिया कंपनी का तथा रविन्द्र उर्फ नीरज के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की टी.व्ही.एस. मिली। पकड़े गये बदमाशों से भागे गये बदमाशों का नाम पता पूछे जाने बंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र रामेश्वर सिंह भदौरिया निवासी बिजपुरी थाना देहात जिला भिण्ड का बताया। बदमाशों से कटटा रखने का लाइसेंस व मोटरसाइकिलों के कागजात चाहे तो नहीं होना बताया। आरोपीगण का उक्त कृत्य धरा-399, 400, 402 भा०द०वि० व 25, 27 आयुध अधिनियम व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत आने से साक्षीगण के समक्ष जब्ती व गिरफ्तारी कर थाना लाकर मूल अपराध

क्रमांक-71/2010 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर उपस्थित अभियुक्तगण बंटू उर्फ शैलेन्द्र एवं रविन्द्र उर्फ नीरज के विरुद्ध धारा 399, एवं 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08/05/2010 को रात्रि के समय 20:10 बजे ग्राम जस्तपुरा की पुलिया के पास में एकत्र होकर संयुक्त तौर पर डकैती के अभ्यस्त रहते हुए डकैती डालने के प्रयोजन से आपस में मिलकर टोली बनाकर पांच व्यक्तियों का समूह तैयार कर डकैती की योजना बनाई ?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

6. प्रकरण में विचाराधीन आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र एवं बंटू उर्फ शैलेन्द्र का ही इस न्यायालय के द्वारा निराकरण किया जा रहा है इसलिये फरार घोषित अभियुक्तगण के संबंध में अभिलेख पर आयी अभियोजन साक्ष्य को मूल्यांकन में नहीं लिया जा रहा है।

7. विचाराधीन आरोपीगण नीरज उर्फ रविन्द्र एवं बंटू उर्फ शैलेन्द्र के संबंध में कथानक मुताबिक इस तरह की घटना बतायी गयी है कि आरोपीगण पांच की संख्या में दि0-08/05/2010 को रात करीब 08 बजे ग्राम जस्तपुरा के नहर की पुलिया के पास अवैध शस्त्रों से सुसज्जित होकर लूट डकैती की योजना बनाते पाये गये। जिनमें आरोपी बंटू उर्फ शैलेन्द्र अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया। उक्त योजना की मुखबिर द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक एन. के. त्रिपाठी को सूचना प्राप्त हुई जिसे उसने रोजनामचा सान्हा में अंकित किया और उपलब्ध पुलिसबल को लेकर वह बदमाशों की तलाश में व मुखबिर की सूचना की तस्दीख हेतु बतलाये गये स्थान की ओर शासकीय पुलिस वाहन से रवाना हुआ, ग्राम जस्तपुरा में उसे 5-6 साक्षी रंजीतसिंह व रामप्रकाश मिल गये जिन्हें भी सूचना

से अवगत कराते हुए साथ में ले गये और उनके समक्ष पूरी कार्यवाही हुई। रणजीतसिंह अ.सा.-1 और रामप्रकाश अ.सा.-2 के रूप में परीक्षण कराये गये किन्तु दोनों ही अभियोजन के कथानक का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है और घटना के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। विचाराधीन दोनों आरोपीगण नीरज उर्फ रविन्द्र एवं बंटू उर्फ शैलेन्द्र को जानने पहचानने से इंकार किया है। उन्हें पुलिस द्वारा उनके सामने पकड़े जाने, गिरफ्तार किए जाने, और कोई सामान बरामद किए जाने से इंकार कर पुलिस को कथन देने से भी उन्होंने इंकार किया है।

8. अ.सा.-1 व अ.सा.-2 आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र की गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.-2 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.-3 के पंच साक्षी हैं जिसके माध्यम से आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र से एक स्टार टी0ब्ही0एस0 मोटरसाइकिल बिना नंबरी और एक लोहे की रॉड को जब्त करना बताया गया है जिससे उक्त दोनों साक्षियों ने इंकार किया है। रणजीत अ.सा.-1 ने प्र.पी.-1 और रामप्रकाश अ.सा.-2 ने प्र.पी.-4 के पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उक्त दोनों साक्षियों ने लूट डकैती की योजना आरोपीगण के द्वारा बनाये जाने और देखे सुने जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। अर्थात् उनके अभिसाक्ष्य में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन के पक्ष में कोई भी तथ्य नहीं आये हैं। नीरज उर्फ रविन्द्र के प्र.पी.-2 के गिरफ्तारी पत्रक और प्र.पी.-3 के जब्ती पत्रक पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर मात्र स्वीकार किए हैं जो वे पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर करा लिये जाना कहते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों साक्षियों से मूल घटना का समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं है। इसलिये अन्य परीक्षित साक्षियों जोकि पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता हो जाती है। हालांकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क उचित है कि अकेले पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस संबंध में इस आशय के तर्क किए हैं कि जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी परीक्षित हुए हैं उनके कथनों में भी गंभीर विरोधाभास हैं और घटना झूठी है। इसलिये आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे।

9. निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 ने अपनी अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में तो यह बताया है कि दि0.-08/05/2010 को वह थाना गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी था उसे मुखबिर की सूचना इस आशय की प्राप्त हुई थी कि ग्राम जस्तपुरा के पास नहर पुलिया के पास हथियारबंद बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे हैं जिसे उसने रोजनामचा सान्हा में अंकित किया था और उपलब्ध बल के साथ शासकीय वाहन से वह थाना से रवाना हुआ था। उसके

साथ ए.एस.आई बंसल, प्र.आर. शुक्ला, आरक्षक जगरामसिंह, रामनिवास, शशांक भदौरिया, राजादागी एवं आरक्षक चालक भारतेन्दु साथ गये थे। साथ में जाने का समर्थन आरक्षक जगराम सिंह अ.सा. -03 ए.एस.आई. और तत्कालीन प्र.आर. बालकृष्ण अ.सा.-4, आरक्षक कल्याण शुक्ला, ए.एस.आई. बी.एल. बंसल अ.सा.-7, आरक्षक शशांक सिंह अ.सा.-8 ने भी किया है। किन्तु प्रकरण में साक्ष्य में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी का पेश नहीं किया है, जबकि अ.सा.-6 रोज0सान्हा लेखबद्ध करना और ए0एस0आई. बी.एल.बंसल के द्वारा उसे सत्यापित करना बताता है। ए.एस.आई. बंसल भी रोज0सान्हा रवानगी वापिसी का सत्यापन करना तो कहता है किन्तु उन्हें साक्ष्य में ही पेश नहीं किया है। यदि मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह मान भी लिया जाये कि मुखबिर की कोई सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त हुई और वह उसकी तस्दीख के लिए पुलिसबल को लेकर बताये गये स्थान पर गया था तो मौके की स्थिति के बारे में मूल्यांकन करना होगा कि जिस प्रकार की घटना बतायी गयी क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई ?

10. निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 के मुताबिक जस्तपुरा पहुंचकर उन्होंने अपने पुलिस वाहन को खड़ा किया था और छिपाव करते हुए नहर पुलिया की तरफ रवाना हुए थे। उसका ऐसा भी कहना है कि दोनों साक्षी रणजीतसिंह व रामप्रकाश रास्ते में मिल गये थे और उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था जिससे उक्त दोनों साक्षियों ने इंकारी की है। मौके की जो स्थिति उसने बतायी है उसमें पुलिया के पीछे कुछ लोगों का आपस में बातचीत करना बताया है जो उसने सुना था, और जो बातचीत सुनी उसमें उक्त निरीक्षक द्वारा यह सुना गया कि “दो तीन मोटरसाइकिलें चुरानी हैं, तथा बातचीत में वे एक दूसरे का नाम ले रहे थे, जिनमें लवकुश, सोमवीर, निहाल व रविन्द्र के नाम उसने सुने थे।” अर्थात् बंटू उर्फ शैलेन्द्र का नाम उसने नहीं सुना। लवकुश सोमवीर और निहाल अभी फरार हैं, उनके विचारण में उनके संबंध में निराकरण होगा।

11. अ.सा.-6 के उक्त अभिसाक्ष्य मुताबिक पुलिया के नीचे जो लोग बातचीत कर रहे थे वे चोरी के संबंध में बातचीत करना बताये हैं ना कि लूट डकैती के संबंध में तथा बदमाश आपस में एक दूसरे का नाम किस संदर्भ में ले रहे थे यह स्पष्ट नहीं किया है। सामान्य तौर पर कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए अपनी पहचान को उजागर नहीं करता है। ऐसे में आपस में एक दूसरे का नाम लेने की कहानी स्वभाविक प्रतीत नहीं होती है। बातचीत सुनने की परिस्थिति को देखा जाये तो अ.सा.-6 के मुताबिक 25-30 मीटर दूरी से उसने सुनना बताया है, जबकि इस बिन्दु पर जो अन्य साक्षी हैं, उनमें आरक्षक शशांकसिंह अ0सा0-8 पैरा-5 मुताबिक 100-150 मीटर की दूरी पर बातचीत सुनना कहता है और जगराम सिंह अ.सा. -3 बीस कदम की दूरी से सुनना बताता है। बालकृष्ण अ.सा.-4

उनसे भिन्न यह कहता है कि जब वे लोग जस्तपुरा के हार में पहुंचे तो कुछ लोगों की आहट मिली थी कि आज रोड पर मोटरसाइकिलें छुड़ाना है और बातचीत में आपस में लवकुश, सोमवीर, निहाल, बंटू के नाम ले रहे थे। नहर पुलिया और हार दोनों अलग अलग स्थान होते हैं और ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि नहर पुलिया से ही हार लगा था, वहां से उन्होंने सुना हो तथा प्रकरण में कोई नजरी नक्शा मौके का तैयार नहीं किया गया है।

12. कल्याण शुक्ला अ.सा.-5 दूरी के बारे में कुछ नहीं बताता है। बल्कि वह मुखबिर की सूचना जोकि अ.सा.-6 मुताबिक थाने पर मिली, उसका खण्डन करते हुए वह मुखबिर की सूचना थाने पर मिलने से पैरा-3 में इंकार करते हुए ग्राम तेहरा के आगे चलने पर रास्ते में मिलना बताता है। इस तरह से मुखबिर की सूचना मिलने, बदमाशों की बातचीत सुनने, आपस में वार्तालाप करने से उनके नामों का पता चलने के संबंध में उपरोक्त पुलिससाक्षी आपस में ही विरोधाभासी साक्ष्य दे रहे हैं। ऐसे में उनके अभिसाक्ष्य के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

13. एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 मुताबिक थाने से रवाना होते समय या मौके पर पुलिसबल की कोई टीम गठित किए जाने की कोई बात नहीं बतायी गयी है। जबकि इस संबंध में बालकृष्ण अ0सा0-4 पार्टियां बनाना कहता है, जिसमें तीन पार्टियां बनाना कहता है, पहली पार्टी में वह स्वयं के अलावा हरनाथसिंह, राजादांगी और एन.के. त्रिपाठी को बताता है। जबकि हरनाथसिंह का नाम किसी अन्य ने नहीं बताया है। हरनाथ सिंह कोई व्यक्ति है या पुलिस कर्मी है, यह भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी व तीसरी पार्टी के कौन लोग थे यह उसे पता नहीं है, यह भी संदेह उत्पन्न करता है।

14. बचाव पक्ष की ओर से घटना काल्पनिक होने का तर्क करते हुए थाने पर बैठकर पूरी कार्यवाही कर ली जाना बताया है। जिसे निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 के पैरा -05 के अभिसाक्ष्य से बल मिलता है क्योंकि उसे यही जानकारी नहीं है कि जिस जगह पर वह तस्दीख के लिए गये थे, वह किस गांव के नजदीक पड़ता है, जाते समय रास्ते में कौन कौन से गांव मिले, घटनास्थल के आगे कौन सा गांव था। जबकि उक्त साक्षी मुख्य साक्षी है। और उसे भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, ऐसे में उसके अभिसाक्ष्य का विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

15. आरोपी बंटू उर्फ शैलेन्द्र के संबंध में जगरामसिंह अ.सा.-3 का यह कहना है कि मौके से जो आरोपी भागा था, उसमें एक बंटू उर्फ शैलेन्द्र भी था। तथा बालकृष्ण अ.सा.-4 मुताबिक मौके पर जो आरोपी पकड़े गये थे, उसके अलावा भागने वालों में नीरज का नाम पकड़े गये आरोपियों ने बताया था। और दो बदमाशों का मौके

से अंधेरे का लाभ लेकर भाग जाने से वह पैरा-3 में इंकार करता है। शशांक सिंह अ.सा.-8 मुताबिक पकड़े गये बदमाश ने भागने वाले बदमाश का नाम बंटू बताया था, जबकि इसके विपरीत निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-06 पैरा-09 में यह स्वीकार करता है कि किसी भी साक्षी ने भागने वाले व्यक्ति का नाम बंटू भदौरिया नहीं बताया था। तथा पकड़े गये आरोपियों से भागे गये आरोपियों के संबंध में उसने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिया था और भागे गये आरोपी को वह व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं था। ऐसे में जबकि मौके पर पकड़े गये आरोपीगण जोकि फरार हैं। उनके कोई धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन भागे गये आरोपियों के संबंध में नहीं लिये गये हैं ना ही उनका ऐसा कोई पंचनामा बनाया गया है। पुलिस साक्षी आपस में भागने वालों के नाम भिन्न भिन्न बता रहे हैं, यह भी उनके अभिसाक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

16. आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र को मौके से पकड़ा जाना और उससे एक टी.व्ही.एस. मोटरसाइकिल व एक लोहे की रॉड जब्त करना बतायी गयी। जैसा कि प्र.पी.-3 में अंकित किया गया है, मोटरसाइकिल बिना नंबर की बतायी है। वह मोटरसाइकिल किसकी थी, इस बारे में कोई जांच नहीं हुई, उक्त मोटरसाइकिल लूट की थी या आरोपियों में से किसीकी थी इस बारे में भी अभियोजन मौन है और एक दूसरे पर उत्तरदायित्व अधिरोपित कर रहे हैं क्योंकि एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 ने मोटरसाइकिल के संबंध में पैरा-6 में बताया है कि मोटरसाइकिल किस व्यक्ति की थी इस संबंध में आरोपियों से पूछा गया था, वाहनों के कागजात भी चाहे थे किन्तु प्रस्तुत नहीं किए गये। बाद में विवेचक ने मोटरसाइकिल के स्वामी के संबंध में जानकारी ली होगी अर्थात् उसे पता नहीं है। अग्रिम विवेचना वह ए.एस.आई. बी.एल.वंसल को सुपुर्द करना वह कहता है। जबकि एफ आई आर प्र.पी.-11 के कॉलम नंबर-13 में विवेचक का नाम अंकित ही नहीं है जिसे वह सहवन से रह जाना बता रहा है और ए.एस.आई. बी.एल.वंसल को विवेचना सौपना बताता है। जबकि एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 की धारा-04 (क) के मुताबिक उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी अनुसंधान कर सकता है उपनिरीक्षक एन.के. त्रिपाठी ने थाना प्रभारी की हैसियत रखते हुए स्वयं अग्रिम विवेचना न करने का भी कोई कारण नहीं बताया है। यदि इस बिन्दु को क्षण भर के लिए अवलोकन से बाहर किया जाये तब ए.एस.आई. बी.एल.वंसल अ.सा.-7 ने अपनी अभिसाक्ष्य में विवेचना प्राप्त होने पर केवल साक्षी रंजीतसिंह, रामप्रकाश, कल्याण शुक्ला, बालकृष्ण के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना और रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का सत्यापन करना मात्र बताया है अर्थात् उसने भी आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र से जब्त बतायी गयी मोटरसाइकिल के स्वामी के संबंध में कोई जांच नहीं की, कि मोटरसाइकिल किसकी थी या लूट की थी। यदि लूट की हो तो उसके पीडित व्यक्ति को साक्षी बनाया जा सकता था, ऐसे

में घटना की विवेचना लचर श्रेणी की है। इसके अलावा बी.एल.बंसल का पुलिस बल में साथ में जाना बताया गया है, जिसके संबंध में वह मौन व्रत है, केवल आंशिक विवेचना करना ही कहता हैं। इससे भी अभियोजन का मामला संदेहजनक हो जाता है।

17. आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र से प्र.पी.-3 मुताबिक जो मोटरसाइकिल व रॉड जब्त करना बतायी गयी है, उसकी ना तो पंच साक्षियों ने पुष्टि की है और जब्तीकर्ता का कथन हर बिन्दु पर विरोधाभास प्रकट कर रहा है इसलिये वह विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है। हमराह पुलिसबल में जिन लोगों का साथ जाना बताया गया है, वह भी कथानक को अपने अपने हिसाब से प्रकट कर रहे हैं। मौके से खानगी व वापिसी के संबंध में भी अ.सा.-3 लगायत अ.सा.-8 की अभिसाक्ष्य में विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं। पंच साक्षी रणजीतसिंह व रामप्रकाश पुलिस को वास्तव में कहां मिले, इसके बारे में भी विरोधाभास हैं, क्योंकि अ.सा.-3 ग्राम तेहरा के पहले मिलना बताता है। जबकि मुख्य साक्षी एन.के.त्रिपाठी ग्राम जस्तपुरा में मिलना कहता है। और दोनों साक्षी अ.सा.-1 व अ.सा.-2 किसीका समर्थन नहीं करते हैं।

18. घटना निर्विवादित रूप से रात्रि के समय बतायी गयी है और घटनास्थल के आसपास अंधेरा बताया गया है जैसाकि सभी साक्षी कहते हैं। अ.सा.-3 लगायत-8 आरोपियों को पहले से जानते पहचानते भी नहीं थे। तथा इस बात की भी स्वीकारोक्ति आयी है कि जिस समय की घटना बतायी जा रही है, उस समय प्र.आर. बालकृष्ण, कल्याण शुक्ला, ए.एस.आई. बंसल तीनों ही सेवानिवृत्ति के करीब थे और उन्हें नजर का चश्मा लगता था बिना चश्मे के वे नहीं देख सकते थे, ऐसे में उनका आरोपियों को देखना, भागने वालों के बारे में जानकारी बाबत दिया गया अभिसाक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है। आरोपी नीरज से मोटरसाइकिल मौके पर बरामद करना बतायी गयी है जिसे एन.के. त्रिपाठी अ.सा.-6 पैरा-2 के अंत में मौके पर विधिवत सीलड करना बताता है, जबकि मोटरसाइकिल ऐसा वाहन है जिसे सीलड किए जाने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका इंजन, चेसिस नंबर होता है, सीलड किस रूप में की यह भी नहीं बताया है। ऐसे में घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़े जाने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और नीरज का मौके पर पकड़ा जाना संदिग्ध है। आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र और बंटू उर्फ शैलेन्द्र से कोई भी अवैध आग्नेयशस्त्र बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी किसी लूट डकैती की योजना में संलिप्तता ही संदिग्ध हो जाती है। इसलिये अ.सा.-3 लगायत अ.सा.-8 के अभिसाक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपीगण नीरज उर्फ रविन्द्र एवं बंटू उर्फ शैलेन्द्र दिनांक-08/05/2010 को ग्राम जस्तपुरा के पास नहर पुलिया के निकट अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड डकैती प्रभावित क्षेत्र

में लूट डकैती की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए वे पांच की संख्या में एकत्र थे, इसलिये केवल घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र होने मात्र के आधार पर धारा-399 एवं 402 भादवि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ पाने के वे पात्र हैं ।

19. अतः आरोपीगण आरोपीगण नीरज उर्फ रविन्द्र एवं बंटू उर्फ शैलेन्द्र को धारा-399 एवं 402 भादवि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है ।

20. आरोपी नीरज उर्फ रविन्द्र के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। उसके प्रोडक्शन वारण्ट पर यह टीप लगायी जावे कि उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर रिहा किया जावे ।

21. आरोपी बंटू उर्फ शैलेन्द्र के जेल वारण्ट पर यह टीप लगायी जावे कि उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर रिहा किया जावे ।

22. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आरोपीगण लवकुश, सोमवीर व निहाल के फरार होने से सुरक्षित रखी जावे ।

23. आरोपीगण के धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र बनाये जावें ।

24. अभियुक्तगण के फरार होने से अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

25. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे ।

दिनांक: **07 अक्टूबर 2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड